प्रतिलिपि आदेश दिनांक 25-7-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1927-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-3-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्र0क्र0 634/अ-6/10-11।

1- दशरथसिंह तनय कोमलसिंह
निवासी ग्राम आसोली तहसील
मालथौन जिला सागर म0प्र0 अन्य-6 -- आवेदकगण

विरूद्ध

1- रघुराजसिंह पिता श्यामलाल
निवासी ग्राम आसोली तहसील
मालथौन जिला सागर म0प्र0 अन्य-6 - अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1927/ III/2014 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25.7.14	यह निगरानी अपर, आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 654/अ–6/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–3–14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत दिनांक 12 जून 14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपर, आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 654/अ–6/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–3–14 व्दारा राजीनामा आवेदन के आधार पर अपील निरस्त की गई है, जबकि उभय पक्ष के बीच राजीनामा नहीं हुआ है। 4/ निगरानी मेमो एंव अन्य अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि जब राजीनामा आवेदन पर सभी हितबद्वों की सहमति न होना आवेदकगण बता रहे हैं पक्षकारों को न्याय नहीं मिला , क्योंकि अपर आयुक्त व्दारा राजीनामा आवेदन के पक्षकारों के पुष्टिकरण के संबंध में आदेश में कुछ भी अंकित नहीं किया है अपितु उन्होंने प्रकरण अब चलाना नहीं चाहते हैं अंकित कर प्रकरण खारिज किया है जिसे न्यायदान की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 03–03–14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि वह हितबद्वों को समक्ष में सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। (signature) सदस्य	